

राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-1 विभाग की अधिसूचना
की क्रियान्विति में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर
के आदेश क्रमांक वाचक/सीकर दिनांक
26/10/23 की अनुपालना में हरतगत प्रकरण का
क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त हो जाने के कारण
पत्रावली न्यायालय Deem to से इस्तान्तरित
होकर आद्य प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।
पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 4/11/23 को पेश हो।

13/2/24 रजिस्ट्रार/सीकर
पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./
अनुपस्थित/पीठारसीन अधिकारी
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 24/2/24 को पेश हो।

24/2/24
पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./
अनुपस्थित/पीठारसीन अधिकारी
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 4/6/24 को पेश हो।

4/6/24
पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./
अनुपस्थित/पीठारसीन अधिकारी
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 19/7/24 को पेश हो।

19/7/24
पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./
अनुपस्थित/पीठारसीन अधिकारी
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 25/7/24 को पेश हो।

25/7/24
पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप./
अनुपस्थित/पीठारसीन अधिकारी
दौर पर/अन्य कार्य में व्यस्त
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 25/7/24 को पेश हो।

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

किया जाता है वगानली फैसल सुमाद बेकर
मजद से कठ हो, एका भाड लकमील इन्जिन
दस्ताद हो, निर्वाच सुले न्यायलय के चुनाव
गया।

रुधिरि
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)